


14.08.25

पत्रावली वैश हुई। वकील प्रतिवादी एवं
पैरोकार राज उपस्थित। पैरोकार राज एवं
वकील प्रतिवादी की बहस पर मनन करने एवं
पत्रावली का अलोकन करने पर वादी का वादपत्र
स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार
किया जाता है। विवृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाट
तरीक तकमील होकर दायिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर तुलै न्यायालय
में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार चौहान)
R.A.S.